कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सतना (म0प्र0)
अग्रवाल भवन, बांधवगढ़ कालोनी, सतना (म0प्र0)
satna@mptownplan.gov.in

क्रमांक 261 /नग्रानि//तक0/शिका./2022 सतना, दिनांक 8/08/2022

प्रति,

श्री सुनील सिंह तनय श्री बद्री सिंह
निवासी- अंगुरी भवन रीवा
हाल मुकाम- बद्रिका हुन्डाई मोटर पन्ना रोड सतना म.प्र.।

विषयः- आवेदक/शिकायतकर्ता श्री प्रभात अग्रवाल तनय श्री नरोत्तमदास अग्रवाल निवासी- टिकुरिया टोला सतना द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्रानुसार श्री सुनील सिंह तनय श्री बद्री सिंह द्वारा ग्राम अमौधाकला आराजी क्रमांक 403/1/1/1/2 रकवा 0.0280 हेक्टेयर भूमि पर गलत दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत कर इस कार्यालय से प्राप्त की गई विकास अनुज्ञा को निरस्त किये जाने हेतु शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संन्दर्भ- 1-इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 716-719/नग्रानि/तक0/वि0अ0/2021दिनांक 24/9/2021 द्वारा जारी विकास अनुज्ञा ।
2-आवेदक/शिकायतकर्ता का आवेदन/शिकायत पत्र दिनांक 31-5-2022 इस कार्यालय का आवक क्रमांक 128 दिनांक 31-5-2022।
3-इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 178/ नग्रानि/तक0/2022 सतना, दिनांक 9/06/2022।
4-इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 199/ नग्रानि/तक0/2022 सतना, दिनांक 23/06/2022।
5-आपके द्ववारा प्रस्तुत जाबव दिनांक 27-6-2022।
6-इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 207/ नग्रानि/तक0/2022 सतना, दिनांक 12/07/2022।
7-पुनः आपके द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 12-7-2022।

उपरोक्त विषयन्तर्गत आवेदक/शिकायतकर्ता श्री प्रभात अग्रवाल तनय श्री नरोत्तमदास अग्रवाल निवासी- टिकुरिया टोला सतना द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्रानुसार कार्यालय 2022 इस कार्यालय का आवक क्रमांक 128 दिनांक 31-5-2022 मे शिकायत की गई की आपके द्वारा ग्राम अमौधाकला आराजी क्रमांक 403/1/1/1/2 रकवा 0.0280 हेक्टेयर भूमि पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 716-719 /नग्रानि /तक. /वि.अ. /2021 सतना दिनांक 24.9.2021 द्वारा आवासीय सह कार्य भूखण्ड उपयोग हेतु प्राप्त विकास अनुज्ञा गलत दस्तावेज /जानकारी प्रदान प्राप्त कर प्राप्त की गई है।

शिकायत के परिपेक्ष्य मे अपना पक्ष रखने हेतु आपको कार्यालय के पत्र क्रमांक 178/ नग्रानि /तक0 /2022 सतना दिनांक 9/06/2022 प्रेषित किया जिसकी प्रतिलिपि पत्र क्रमांक पत्र क्रमांक 179/ नग्रानि /तक./2022 सतना दिनांक 9/06/2022 शिकायकर्ता को प्रेषित किया गया एवं पुनः आपको पत्र क्रमांक 199/नग्रानि/तक0/2022 सतना दिनांक 23/06/2022 पत्र प्रेषित किया जिसकी प्रतिलिपि पत्र क्रमांक 200/ नग्रानि /तक0 /2022 सतना दिनांक 23/06/2022 शिकायकर्ता को प्रेषित किया गया।

सूचना के परिपेक्ष्य मे आपके द्वारा अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 27/06/2022 को अपना पक्ष रखते हुए जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसमे अवगत कराया गया कि आवेदित भूमि माननीय दीवानी न्यायलाय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग -2 सतना द्ववारा वाद क्रमांक -22 ए/2020 के अन्तर्गत शिकायतकर्ता का आवेदन धारा -151 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदनो का निराकरण दिनांक 30/1/2020 को किया जा चुका है। संलग्न दस्तावेजो का परिक्षण किया गया जिसमे पाया गया की प्रकरण पर निषेधाज्ञा आवेदनो का निराकरण दिनांक 30/1/2020 को किया किन्तु प्रकरण का खत्मा नही किया गया था।

शिकायतकर्ता द्वारा आपने शिकायती आवेदन पर कार्यवाही के संम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु कार्यालय मे उपस्थित हुआ व ग्राम अमौधाकला आराजी क्रमांक 403/1/1/1/2 रकवा 0.0280 हेक्टेयर भूमि पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 716-719 /नग्रानि /तक. /वि.अ. /2021 सतना दिनांक 24.9.2021 द्वारा आवासीय सह कार्य भूखण्ड उपयोग हेतु प्राप्त विकास अनुज्ञा के आधार पर नगर निगम सतना से भवन अनुज्ञा प्रकरण क्रमांक PMT/SAT/0397/127/2022 दिनांक 20 फरवरी 2022 की प्रति एवं आवेदित स्थल पर निर्माणाधीन भवन की छायाचित्र (फ़ोटो) प्रस्तुत कर अवगत कराया की आपके द्वारा इस कार्यालय से प्राप्त विकास अनुज्ञा के विपरित भवन अनुज्ञा प्राप्त की गई है एवं निर्माण कार्य किया जा रहा है। उपरोक्तानुसार भवन अनुज्ञा का परिक्षण किया गया एवं पाया गया कि इस कार्यालय द्वारा भूतल पर दुकान उपयोग हेतु गतिविधियो की अनुज्ञा/स्वीकृति प्रदान की गई थी जबकि आपके द्वारा नगर निगम सतना से भू तल एवं प्रथम तल पर वाणिज्यिक उपयोग हेतु भवन अनुज्ञा प्राप्त की गई है, तथा स्थल/मौके पर इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत विकास अनुज्ञा के कंण्डिका क्रमांक 6, 7, 8, 9 का पालन न करते विकास अनुज्ञा का उल्लघंन करते हुए विकास निर्माण किया जा रहा है। इस संम्बन्ध मे आपको इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 207/ नग्रानि/तक0/2022 सतना दिनांक 12/07/2022 प्रेषित किया गया। दिनांक 12-7-2022 को अभिभाषक द्वारा पुनः जबाब प्रस्तुत किया गया जो पूर्व मे प्रस्तुत जवाब के अनुसार ही है।

अतःनिम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर ग्राम अमौधाकला तहसील - रघुराजनगर जिला सतना आराजी क्रमांक 403/1/1/1/2 रकवा 0.0280 हेक्टेयर भूमि पर इस कार्यालय पत्र क्रमांक 716-719 /नग्रानि /तक /वि.अ. /2021 सतना दिनांक 24.9.2021 द्वारा आवासीय सह कार्य भूखण्ड उपयोग हेतु जारी विकास अनुज्ञा म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहरित (रिव्होक) की जाती है।

1- आपके द्वारा 5 जुलाई 2021 को कार्यालय मे विकास अनुज्ञा आवेदन प्रस्तुत कर कार्यालय के पत्र क्रमांक 716-719/नग्रानि/तक./वि.अ./2021 सतना दिनांक 24.9.2021 द्वारा आवासीय सह कार्य भूखण्ड उपयोग हेतु विकास अनुज्ञा प्राप्त की गई है। प्रस्तुत विकास अनुज्ञा आवेदन मे संलग्न शपथ पत्रानुसार आपके द्वारा शपथ पत्र निष्पादित किया गया की उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का वैधानिक अथवा पैत्रक प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन नही है। आवेदित भूमि पर जनवरी वर्ष 2020 न्यायलयीन प्रकरण विचाराधीन है। जिस पर निषेधाज्ञा आवेदनो का निराकरण दिनांक 30/1/2020 को किया किन्तु प्रकरण का खात्मा नहीं किया गया था। जो अर्थात विकास अनुज्ञा आवेदन के समय आवेदित भूमि पर प्रकरण न्यायलाय मे विचाराधीन था एवं अभी भी न्यायालय मे विचाराधीन है।

2- आवेदित भूमि पर इस कार्यालय द्वारा जारी विकास अनुज्ञा मे भूतल पर दुकान एवं शेष तल आवासीय उपयोग हेतु गतिविधिया मान्य की गई थी। जबकि आपके द्वारा नगर निगम सतना मे भवन अनुज्ञा प्रकरण क्रमांक PMT/SAT/0397/127/2022दिनांक 20 फरवरी 2022 द्वारा भू तल एवं प्रथम तल पर वाणिज्यिक उपयोग हेतु भवन अनुज्ञा प्राप्त की गई है। जो इस कार्यालय द्वारा जारी विकास अनुज्ञा एवं म.प्र भूमि विकास नियम 2012 के नियम 11 का उल्लघन है। अथात आपके दवारा गलत भवन अनुज्ञा प्राप्त की गई है।

3- आपके द्वारा आवेदित भूमि पर कर कार्यालय के पत्र क्रमांक 716-719/नग्रानि/तक./वि.अ./2021सतना दिनांक 24.9.2021 द्वारा आवासीय सह कार्य भूखण्ड उपयोग हेतु जारी विकास अनुज्ञा के कंण्डिका क्रमांक 6, 7, 8, 9 का पालन न करते हुए विकास निर्माण कार्य किया जा रहा है।

प्रभारी-उपसंचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय सतना म0प्र0

262 To 264

पृ0क्रमांक /नग्रानि/शिका0/2022 सतना, दिनांक 18/08/2022

प्रतिलिपि-

1- आयुक्त नगर पालिका निगम सतना की ओर सूचनार्थ एवं कार्यालय द्वारा जारी विकास अनुज्ञा के विपरीत जारी भवन अनुज्ञा के संम्बन्ध मे आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- श्री आशीष जैन ,प्रेम एसोसिएटस स्टेशन रोड सतना म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे बगैर दस्तावेज परिक्षण के आवेदन कार्यालय मे प्रस्तुत न करे अन्यथा गलत दस्तावेजो के आधार पर आवदन कार्यालय मे प्रस्तुत करने की पुर्नावृत्ति पाये जाने पर आपको इस कार्यालय के क्षेत्रान्तर्गत कार्य करने हेतु जारी संरचना इंजीनियर सक्षमता की अनुज्ञप्ति निरस्त की जा सकेगी।

3- आवेदक/शिकायतकर्ता श्री प्रभात अग्रवाल तनय श्री नरोत्तमदास अग्रवाल निवासी- टिकुरिया टोला सतना की ओर सूचनार्थ।

प्रभारी-उपसंचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय सतना म0प्र0